भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3574
17 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: ग्रामीण कृषि बाजार पहल

3574. श्री जी. सेल्वम:
श्री सी. एन. अन्नादुरई:
श्री अ. मनि:
श्री नवसकनी के.:
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यशील बाजारों की संख्या के संदर्भ में ग्रामीण कृषि बाजार (ग्राम) पहल की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त जीआरएएम पहल के लिए अधिदेशित मूलभूत अवसंरचना और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या अब तक स्थापित सभी जीआरएएम में किसानों के लिए भंडारण, ग्रेडिंग और नीलामी प्लेटफार्म जैसी आवश्यक सुविधाएं हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या जीआरएएम की स्थापना से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने में मदद मिली है;
(ङ) यदि हां, तो किसानों की बढ़ी हुई आय के आंकड़ों सहित इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सरकार की योजना इन बाजारों के दायरे को बढ़ाकर अधिक दूरदराज के क्षेत्रों को शामिल करने की है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और
(छ) 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के उद्देश्य को प्राप्त करने में जीआरएएम की क्या भूमिका है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (छ): कृषि विपणन राज्य का विषय है और कृषि उपज मंडी समितियां (एपीएमसी)/ग्रामीण कृषि बाजार (ग्राम्स) राज्य के संबंधित अधिनियमों के तहत विनियमित होते हैं। राज्य उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष और व्यापारियों की मौजूदगी आदि के आधार पर आवश्यकता का आकलन करने के बाद कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) की स्थापना करते हैं।

ग्रामीण हाट/स्थानीय बाजारों का प्रबंधन स्थानीय निकायों या पंचायतों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ने ग्रामीण हाट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का समर्थन किया है।

दिनांक 13 दिसंबर,2024 तक की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत शुरू किए गए ग्रामीण हाटों के निर्माण का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

ग्रामीण हाटों के विकास के बाद, उन्हें कृषि विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) के माध्यम से ग्रामीण कृषि बाजार (ग्राम्स) में अपग्रेड किया जा सकता है, जो एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की एक उप-योजना है जिसके तहत ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम्स) में विकसित और अपग्रेड करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना मांग आधारित है और अभी तक इसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुबंध

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत शुरू से लेकर अब तक ग्रामीण हाटों के निर्माण का विवरण (दिनांक 13 दिसंबर,2024 तक की स्थिति के अनुसार)					
क्र.सं.	राज्य	पूरे किए गए कार्य		चल रहे कार्य	
		कार्यों की संख्या	व्यय लाख रु. में	कार्यों की संख्या	व्यय लाख रु. में
1	आंध्र प्रदेश	81	146.69	51	237.88
2	अरुणाचल प्रदेश	21	444.95	23	356.60
3	असम	43	159.78	43	112.69
4	बिहार	100	585.78	287	701.83
5	छत्तीसगढ	399	1,388.08	135	508.93
6	गुजरात	20	83.29	11	17.52
7	हरियाणा	1	4.59	5	17.47
8	हिमाचल प्रदेश	137	385.42	78	220.77
9	जम्मू एवं कश्मीर	154	123.36	34	21.25
10	झारखंड	-	-	8	2.87
11	कर्नाटक	66	367.60	76	253.90
12	केरल	45	157.76	21	77.79
13	लद्दाख	3	3.75	-	-
14	मध्य प्रदेश	356	729.59	115	266.22
15	महाराष्ट्र	1	22.87	3	2.90
16	मणिपुर	140	910.58	112	108.61
17	मेघालय	21	271.39	21	192.55
18	मिजोरम	494	2,447.17	28	216.19
19	नागालैंड	34	778.45	11	136.59
20	ओडिशा	261	1,559.70	374	1,592.83
21	पंजाब	10	53.21	-	-
22	राजस्थान	83	488.47	63	260.12
23	सिक्किम	12	18.88	15	4.83
24	तमिलनाडु	138	3,965.57	24	351.51
25	तेलंगाना	63	239.20	26	57.35
26	त्रिपुरा	13	153.52	15	132.13
27	उत्तर प्रदेश	338	2,111.26	450	2,468.56
28	उत्तराखंड	54	282.27	10	62.09
29	पश्चिम बंगाल	153	1,337.09	201	887.27
30	पुदुचेरी	1	15.34	-	-
	कुल	**3,242**	**19,235.61**	**2,240**	**9,269.25**

*****